Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-12(A)| December 2025

Original Article

आदिवासियों के दृष्टिकोण से पेसा कानून का महत्व

डॉ. किरन नामदेवराव कुंभरे
सहायक प्रोफेसर, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सिदों कान्हु-मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रिय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
Email: kiran.kumbhare56@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-171239
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 12(A)
Pp. 187-191
December 2025
Submitted: 19 Nov. 2025
Revised: 29 Nov. 2025
Accepted: 14 Dec. 2025
Published: 31 Dec. 2025

सारांश

यह शोधलेख आदिवासियों के दृष्टिकोण से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा कानून) के महत्व का विश्लेषण करता है। आदिवासी समाज भारत का मूलनिवासी समाज है, जिसकी जीवन-शैली जल, जंगल और जमीन से गहराई से जुड़ी हुई है। आधुनिक विकास की प्रक्रियाओं, विस्थापन, अवैध खनन और बाहरी हस्तक्षेप के कारण आदिवासियों के अस्तित्व, संस्कृति और आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। इन परिस्थितियों में पेसा कानून आदिवासियों को स्वशासन, अधिकारों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को सर्वोच्च संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे विकास योजनाओं की स्वीकृति, भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण, जल-जंगल-जमीन के प्रबंधन, तथा स्थानीय विवादों के समाधान का अधिकार प्राप्त है। इससे आदिवासियों की भागीदारी, पारंपरिक शासन प्रणाली और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ता मिलती है। ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी परियोजना, सड़क, खनन या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को वैध नहीं माना जाता, जिससे शोषण और छल-कपट की संभावनाएँ कम होती हैं।

मुख्य शब्द: *पेसा कानून (PESA Act), आदिवासी स्वशासन, ग्राम सभा, जल, जंगल, जमीन के अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र, पंचायती राज व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामाजिक न्याय*

परिचय

जनजाति या आदिवासी देश के मूलनिवासी है। जिनके जीवन और संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषताऐं हैं। आर्थिक और सामाजिक पिछडापन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक अंधविश्वास, जीवन की सरलता और आनंद, स्वतंत्रता, निर्भयता के विशेष रीति रिवाजों एवं रहन-सहन की पढ़त भी विभिन्नता का आयाम अपने में समेटे हुये हैं। अतः उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना अति आवश्यक है। गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, अभाव सामाजिक कुरीतियां, आय का असमान वितरण, आय का न्यूनस्तर, आज भी परिवार में दिखता है। इनकी अर्थव्यवस्था निम्न कगार पर हैं जिससे इनका जीवन स्तर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य स्तर आदि निम्न रहा है। "जनजाति के संदर्भ में विद्वानों द्वारा व्यक्ति विचारों को केन्द्रित करते हुए कह सकते है कि जिनकी सामान्यता एक निश्चित बोली या भाषा एक हो। स्वतंत्रता के बाद से ही आदिवासी विकास शासन का प्राथमिक दायित्व रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए पेसा कानून की शुरुआत हुई। इसे आसान भाषा में समझें तो इस कानून की तीन प्रमुख बाते हैं । इस कानून में प्रमुख रुप से जल, जंगल और जमीन का अधिकार है ।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. किरन नामदेवराव कुंभरे, सहायक प्रोफेसर, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सिदों कान्हु-मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रिय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

How to cite this article:
कुंभरे, . किरन . नामदेवराव . (2025). आदिवासियों के दृष्टिकोण से पेसा कानून का महत्व. Journal of Research & Development, 17(12(A)), 187–191. https://doi.org/10.5281/zenodo.18334370

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18334370
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-12(A)| December 2025

पेसा कानून लागू होने के बाद अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों में इस कानून को लेकर जागरूकता होनी चाहिये ।प्रस्तुत शोधलेख के माध्यम से पेसा कानून क्या है? इसका स्वरूप कैसा है? इसे क्यों लागू किया गया? और इससे आदिवासियों को कितना फायदा होगा इन सभी मुद्दो का उल्लेख किया गया है। पेसा कानून के तहत मिले विभिन्न अधिकारों में एक अधिकार पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले सभी गाँव की पंरपरागत गाँव सभा को अपने गाँव विकास की योजना बनाने तथा लागू करवाने का अधिकार है। आदिवासी स्वशासन के मायने, ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें आदिवासियों के रीति-रिवाजों, परम्पराओं और जीवन-शैली को कायम रखते हुए सत्ता और विकास के अधिकार उनके हाथ में रहें। आदिवासी स्वशासन का यह अधिकार पेसा कानून के तहत दिया गया।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोधलेख का अध्ययन क्षेत्र केवल आदिवासीयों के संबंधित बनाया गया पेसा कानून तक ही संबंधित है एवं पेसा कानून का स्वरूप किस प्रकार से होता है यह एक बताने का प्रयास किया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन

1)**जोशी राम शरण** की पुस्तक **आदिवासी समाज और शिक्षा** में आदिवासी समाज के अधिकारो के बारे में चर्चा की गई है। आदिवासी समाज प्राचीन काल से स्थित है और उन पर अन्याय हुआ है इसलिए उनको पुरा अधिकार उनका मिलना चाहिए । शिक्षा के वातावरण की निर्मिती उनके क्षेत्र में होनी चाहिये ताकी उनको स्वयं के अधिकार की जानकारी हो इस पर सविस्तर चर्चा की गई है ।

2) **जैन कामिनी** की पुस्तक **भारतीय आदिवासी** में बताया गया है की ब्रिटिश शासन के काल में इनका महत्व कुछ भी नही था। स्वतंत्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा के साथ आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास का महत्व बहुत बढ़ गया । संसदीय शासन प्रणाली में जनप्रतिनिधि उसके क्षेत्र का पूर्ण विकास चाहता है संवैधानिक आधार पर भी आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसकी चर्चा की गई है ।

3) **किस्सकु आशा** की पुस्तक **आदिवासियों का संसार** में आदिवासी विकास वर्तमान संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन के बारे मे चर्चा की गई है । सामाजिक संघठन किस प्रकार है जीवनशैली उनकी कैसी है इसके बारे मे सविस्तर जानकारी मिलती है ।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधलेख के उद्देश्य निम्नलिखित दिये गये है ।

1) पेसा कानून की सविस्तर चर्चा करना

2) आदिवासियों के दृष्टीकोण से इस कानून का महत्व समझना।

परिकल्पना

1) पेसा कानून के कारण आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित करना है ।

2) विविध आदिवासी क्षेत्र में कम अधिक प्रमाण मे पेसा कानून का प्रभाव हुआ है ।

शोध पद्धति

किसी भी आलेख के लिए शोध की पद्धति बहुत महत्वपुर्ण होती है। इस आलेख में द्वितीयक स्त्रोत का उपयोग किया जाएगा एवं इसके माध्यम से पेसा से सबन्धित पहलुओं को समझाने प्रयास किया जाएगा । प्रस्तुत शोधलेख के लिए विश्लेषण पद्धती का उपयोग किया गया है । प्रस्तुत शोधलेख के लिए दुय्यम सामग्री का उपयोग किया गया है।

विषय विवेचन

आदिवासी समाज भारतीय समाज की एक महत्वपुर्ण कडी है किन्तु मानव समाज की उपेक्षित संस्कृति का प्रतीक है । जबकि आदिवासियों की संस्कृति परम्पराओं तथा रीति-रिवाज और प्रशासन पर नजर डालें तो पायेगें कि विभिन्नताओं के देश में इनकी अहम् भूमिका है। प्रारंभिक काल मे राजनैतिक संगठन प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित होता है। समाज का कोई प्रमुख अथवा वृद्ध व्यक्ति उनका मुखिया होता है। जिसकी आज्ञा का पालन करना सभी का कर्तव्य होता है। बाद मे इसमें बहुत बदल होते दिखता है । उसका स्वरूप विविध कानून और अधिकार ने ले लिया है। मूलतः प्रशासन की निष्ठापूर्ण पहल एवं सक्रिय भूमिका ही इस शोषित वर्ग की प्राचीन पिछड़ी स्थिति को बदल सकती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतिम या ठोस रूप से प्रमुख मार्ग अब तय हो रहा है। नित नए प्रयोग हो रहे है ऐसा ही एक प्रयोग आदिवासी के विकास की अनुसार पेसा अधिकार है। आदिवासियों के समग्र विकास के लिए प्रशासन की भूमिका सकारात्मक रही है। भारत में चल रही आधुनिक विकास की परिकल्पना ने अगर किसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वह आदिवासी समाज है । अपने जल- जंगल- जमीन से लगातार बेदखली ने आदिवासियों के जीवन के संकट को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय व अत्याचार से बढ़ते जन असंतोष और सरकार पर बन रहे दबाव के चलते संसद ने 24 दिसंबर 1996 में पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) पारित किया और जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं अपवाद के साथ भाग को पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-12(A)| December 2025

ये वे अपवाद एवं परिवर्तन हैं जो कानून की धारा 4 में उल्लेखित हैं। जो इस कानून को जनजातियों के लिए विशिष्टता प्रदान करते हुए उन्हें भिन्न प्रकार के अधिकार एवं विशेषाधिकार देता है।

पेसा कानून का अर्थ

पेसा ॲक्ट (PESA ACT) पेसा कानून का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट जल, जंगल और जमीन का अधिकार है। इस कानून के जरिए जमीन के अधिकार को सशक्त बनाया गया है। भूमि के इस अधिकारों के तहत आदिवासियों को मजबूत बनाने की बात इस कानूनमें कही गई है। PESA ACT यह मूल रूप से 1995 में भूरिया समिति रिपोर्ट के आधार बनाकर उस समय संसद ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 को विशेष रूप से 10 राज्यों में लागू किया। उन 10 राज्यों में अधिसूचित अनुसूची v के क्षेत्रों के साथ संविधान भाग के IX को विस्तार करने के लिए लागू किया। साथ ही राज्यों के भीतर पेसा के प्रावधानों लागू करने के लिए इसमें पंचायत राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय की भूमिका होती है। संवेधानिक संशोधन 73 के माध्यम से देश में त्रि –स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर उनको शक्तियाँ प्रदान की गई। भारत मे पेसा कानून दस राज्य मे लागू हुआ है जो पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। पेसा कानून यह अनुसूचित क्षेत्र है इसका उल्लेख अनुच्छेद 244 तथा 244 (1) के भीतर किया गया है जिसके अनुसार पाँचवी अनुसूची एवं असम,मेघालय , त्रिपुरा ,मिजोरम। अन्य अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों पर लागू होगा।

पेसा कानून से आदिवासियों को मिलनेवाले अधिकार और महत्व

जिन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा होगी, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था को उस क्षेत्र में पानी को स्टोर करने की व्यवस्था, मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करना होगा। यह सब कृषि विभाग के जरिए किया जाएगा। जनजातीय इलाकों में भू अभिलेख के लिए ग्राम सभा आयोजित किए जाने पर आदिवासियों को उस वित्तीय वर्ष में नक्शा दिया जाएगा। ऐसा होने पर उन्हें आसानी से नक्शा मिलेगा और इसके लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे।

इस कानून के दायरे में आने वाले लोगों को उसी क्षेत्र में जमीन से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे- गांवों की जमीनों से जुड़े जो भी मामले होंगे उसका ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी और पटवारी को भेजेगी। पटवारी इसमें सुधार करेंगे आदिवासी अपनी जमीनों से संबंधित नियमों को नहीं बदल पाएंगे यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें ग्राम सभा को इसकी जानकारी देनी होगी। यदि आदिवासी की जमीन किसी गैर- आदिवासी के पास चली जाती है तो उन्हें वापस पाने का अधिकार है। इस तरह से पेसा कानून के जरिए आदिवासियों के पास उनकी जमीन को लेकर अधिकार बढ़ेंगे।

ग्राम सभा के अधिकार

आदिवासी के क्षेत्र में यदि किसी की जमीन की नीलामी हो रही है तो वो आदिवासी को ही दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं बंटाई के लिए जिस जमीन को बंधक रखा गया है तो उसे आदिवासियों को देने के अधिकार ग्राम सभा को दिए जाए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम सभा के पास जल प्रबंधन के अधिकार रहेंगे। यदि किसी प्रोजेक्ट या हाइवे जैसे निर्माण के लिए आदिवासियों की जमीन ली जाती है तो उसमें ग्राम सभा की अनुमति सबसे ज्यादा मायने रखेगी। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं से पहले चर्चा करेंगे। उनकी अनुशंसा के बाद जमीन ली जाएंगी। ऐसे मामले में आदिवासियों से छल-कपट न किया जा सके पेसा एक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है।

पेसा कानून तहत कार्यवाही

गाँव के सभी मतदाता (महिला/पुरुष) गाँव सभा के सदस्य होते हैं। गाँव के मतदाताओं द्वारा जब गाँव सभा के गठन हो जाने की घोषणा की जाती है। तब कुछ जरूरी जानकारी गाँव सभा के लोगों को होनी चाहिए। जिससे गाँव सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके क्योंकि गाँव सभा की कार्यवाही कानूनी रूप से मान्य हैं।

1) गाँव सभा सचिव ग्राम पंचायत का सचिव गाँव सभा का सचिव होगा। वह बैठक की सारी कार्यवाही रजिस्टर में लिखेगा।

2) गाँव सभा की बैठक गाँव सभा की साधारण बैठक वर्ष में चार-बार आयोजित की जायेगी। गाँव सभा की कार्यवाही जनता के बीच संचालित की जायेगी। गाँव सभा का निर्णय सर्वसम्मति से होगा। यदि कोई निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो सका तो ऐसे विवाद पर एक सप्ताह बाद या अगली बैठक जैसा तय हो में चर्चा की जायेगी। यदि दूसरी बैठक में भी सर्वसम्मति नहीं हो पाती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

कोरम के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा। सचिव कार्यवाही के सही लेखन का जिम्मेदार होगा। बैठक की समाप्ति पर कार्यवाही पढ़कर सुनाई जायेगी और बैठक में उपस्थित गाँव सभा सदस्यों द्वारा अनुमोदन और हस्ताक्षर किया जायेगा। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जायेगी।

3) कोरम गाँव सभा कि किसी भी बैठक के लिए गाँव सभा के मतदाताओं का 10 वां भाग अनिवार्य होगा।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-12(A)| December 2025

4) गाँव सभा की अध्यक्षता गाँव सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच या उपसरपंच द्वारा की जायेगी। उनकी अनुपस्थिति में गाँव-सभा गाँव के किसी भी व्यक्ति को बहुमत से उस बैठक का अध्यक्ष चुन कर बैठक सम्पन्न करेगी।

5) गाँव सभा की बैठक की तारीख व समय सरपंच या सचिव गाँव सभा की बैठक बुलाएंगे। बैठक के दिन समय और एजेण्डे की सूचना सबको दी जायेगी। हर तीसरे महीने में कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगी।

6) गाँव सभा की विशेष बैठक यदि साधारण बैठक में गाँव सभा आयोजित करना तय किया गया है या कोई ऐसा प्रस्ताव जिस पर गाँव सभा द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हो। तब गाँव सभा के कुल सदस्यों का 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों द्वारा सचिव को लिखित दी गयी सूचना के आधार पर बैठक होगी। विशेष बैठक में लिए निर्णय को अगली बैठक के अलावा कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी। गाँव सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

7) गाँव सभाओं की संयुक्त बैठक सामुदायिक स्रोतों के प्रबन्धन, सड़क निर्माण जैसे मामलों में जिसमें अन्य गाँव सभाओं को शामिल करना जरूरी हो वहाँ ग्राम पंचायत की समस्त गाँव सभाओं की बैठक संचालित की जा सकती है। संयुक्त बैठक में गाँव सभा के 5 प्रतिशत या 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक की अगली तारीख उसी दिन तय की जायेगी। गाँव सभा की संयुक्त बैठक ऐसे मुद्दों पर आयोजित की जा सकेगी जो कि पूरी पंचायत को प्रभावित कर रहा हो।

8) महिलाओं की भागीदारी गाँव सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के विचार गाँव सभा के विचार माने जाएंगे और उन विचारों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। गाँव सभा में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

9) गाँव सभा की कार्यवाही लिखना गाँव सभा की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव या नियुक्त कर्मचारी द्वारा लिखी जायेगी। गाँव सभा द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव को लिखित में पंजीबद्ध करना होगा। बैठक की समाप्ति एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने से पहले पारित प्रस्ताव व निर्णय को पढ़ कर सुनाया जाना अनिवार्य है। सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना व पारित प्रस्तावों के अनुसार सम्बंधित विभागों को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट लिखना भी सचिव की जिम्मेदारी है।

10) गाँव सभा के आवश्यक दस्तावेज गाँव सभा की कार्यवाहियों के लिए लिखित रूप से अभिलेखों को रखने की आवश्यकता है, जिससें आवश्यकता पड़ने पर समस्त दस्तावेज उपलब्ध हो सके, जिससे गाँव सभा की किसी भी कार्यवाही पर कोई असर न पड़े।

निष्कर्ष

योजना का लक्ष्य भारत में जनजातियों तक न्याय की पहुँच को सुनिश्चित करना है। न्याय तक पहुँच की अपने तमाम अर्थो में अर्थात अधिकारों तक पहुँच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाएँ, इत्यादि को सुगम बनाता है ताकि संविधान के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक एवं न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थ पूर्ण रूप से अनुभव कर सके। जनजातियों को कई विधिक अधिकार दिए गए है। पेसा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रबंधन में विधिक अधिकार शामिल है। पहचान का संरक्षण ग्राम सभाओं की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण एवं एक गाँव के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करता है। संघर्षों का समाधान करने में मदत करता है। पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों तथा परिवेश के सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। पब्लिक के भीतर निरीक्षण करने के लिए ग्राम सभा को अपने गाँव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी तथा निषेध करनेमें सहाय्यपूर्ण है । पेसा अधिनियम के कारण आदिवासी क्षेत्र में मरती हुई स्वशासन प्रणाली को फिर से जीवंत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करके और अधिक लिंग- समावेशी एवं लोकतांत्रिक बन रहा है । समग्रतः कहा जा सकता है कि जल, जंगल, जमीन के बिना और इनके बाहर आदिवासी अस्तित्व की कल्पना संभव नहीं है। यदि उन्हें वहाँ से बेदखल किया जाता है तो इसका मतलब है एक कौम का, एक संस्कृति, परंपरा, समाज, भाषा का विनाश। विकास के मॉडल में आदिवासियों की परिस्थितियों और मानसिकता को ध्यान में न रखने के कारण विकास की वर्तमान अवधारण आदिवासियों के लिए अभिशाप बन गई है। परियोजना और विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीनों को छीनकर, अवैध खनन व भू-माफियाओं को छूट देकर आदिवासियों को बेदखल करना, उन पर हिंसात्मक कार्यवाहियाँ करना, विस्थापित और पलयान के लिए मजबूर करना, उन्हें खेती, जल, जंगल, जमीन विहिन करना वर्तमान ऐसी सच्चाई है जिसे नकार नहीं जा सकता इसके चलते देश के पर्यावरण संतुलन को भी भारी नुकसान हो रहा है। मूलतः जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर आदिवासी और आदिवासी संस्कृति नहीं बचाया जा सकता। इन सभी बातो पर नियंत्रण पेसा कानून की तहत रखा जा सकता है। इसलिए आदिवासियों के दृष्टिकोण से पेसा कानून अत्यंत महत्त्वपूर्ण और विकास का आधार है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-12(A)| December 2025

संदर्भ

1) जोशी रामशरण (1996) आदिवासी समाज और शिक्षा, ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली.पृ. कृ.17.

2) जैन कामिनी (2022) भारत के अधिवासी, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पृ. कृ. 260.

3) पेसा कानून और गाव सभा की भूमिका (2020) पॉपुलर प्रकाशन, उदयपूर.पृ. क्र.45.

4) बासु समर (2025) आदिवासी दर्शन, राजकमल प्रकाशन, रांची पृ. क्र. 48.

5) हरी राम मीणा (2020) हिंद अकॅडमी, राजस्थान, पृ. क्र.67.

6) केदार प्रसाद मीना (2016) आदिवासी समाज, साहित्य और राजनीति, अनुज्ञा प्रकाशन, दिल्ली.पृ. क्र. 69.

7) कश्यप मदन (2015) आपणा ही देश, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली,पृ. क्र. 74.

8) कुलकर्णी. पि.के. (2019) मानवी हक्क आणि सामाजिक न्याय, दैमंद प्रकाशन,पुणे. पृ. क्र. 55.

9) परमार शाम (1976) भारतीय आदिवासी जीवन, राष्ट्रीय पुस्तक, भारत. पृ. क्र. 67.

https://www.sanskritiias.com/hindi/current-affairs/pesa-act

https://www.prabhatkhabar.com/prabhat-khabar-special/what-is-pesa-act-1996